जनता के दरबार में मुख्य मंत्री

राज्य की जनता से सीधे संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं, कठिनाइयों एवं दुखों से अवगत होने और सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकासोन्मुख विभिन्न कार्यक्रमों की सही स्थिति से अवगत होने के लिए मुख्य मंत्री, बिहार के स्तर से **जनता के दरबार में मुख्य मंत्री** कार्यक्रम अप्रील 2006 से प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को मुख्य मंत्री आवास 1, अणे मार्ग के दरबार हॉल में आयोजित किया जाता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के परिवाद पत्रों के निबंधन करने उपरांत उन्हें निबंधन संख्या से संबंधित हरे रंग का एक कार्ड दिया जाता है जिसे साथ में लेकर आगंतुक दरबार हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। 1000 से अधिक आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए दरबार हॉल में अलग-अलग स्थान निर्धारित किया गया है। आगंतुकों की सुविधा के लिए दरबार हॉल के उत्तरी छोर पर पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

2. ग्रीष्मकाल में पूर्वाह्न 9:00 बजे तथा शीतकाल में पूर्वाह्न 10:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आगमन के पश्चात मुख्य मंत्री सीधे महिलाओं के लिए निर्धारित कतार में जा कर प्रत्येक आगंतुक से उनके परिवाद पत्र स्वयं प्राप्त करते हैं और वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को गहराई से जानने के पश्चात साथ में भ्रमणशील पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश के साथ परिवाद पत्रों को सौंपते हैं। मामले की गंभीरता के मद्देनज़र मुख्य मंत्री सीधे संबंधित सचिव/आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/ज़िलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अन्य संबद्ध पदाधिकारी से बात कर एक समय सीमा के अंदर में व्यक्ति विशेष की समस्याओं के समाधान का आदेश प्रख्यापित करते हैं।

3. इसी प्रकार मुख्य मंत्री द्वारा दरबार हॉल में सभी आगंतुकों से मुलाक़ात कर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाती है।

4. वर्ष 2007 के मध्य से इस कार्यक्रम को 'ऑनलाईन' किया गया है जिसका वेबसाईट (https://www.jkdmm.in) है। आगंतुकों से प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों पर उनके विषय और विभाग से संबंधित कोडिंग करने के पश्चात उसे इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है और संबंधित विभागीय प्रधान/उच्चाधिकारी को उस पर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है। पूरे कार्यक्रम के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय के सहायतार्थ उप सचिव, प्रशासी पदाधिकारी होते हैं।

5. जनता के दरबार में मुख्य मंत्री कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जा रहा है। मात्र अपवाद स्वरूप सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहने पर अथवा मुख्य मंत्री के अन्यत्र दौरे पर रहने के कारण ही यह कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। इस प्रकार के स्थगन की सूचना पूर्व से समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य को प्राप्त हो जाती है। फिर भी जानकारी के अभाव में जो व्यक्ति मुख्य मंत्री आवास के निकट अपनी फ़रियाद को ले कर आ जाते हैं उनके आवेदन पत्र सीधे मुख्य मंत्री सचिवालय के पदाधिकारी द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था रहती है। ऐसे आवेदन पत्रों पर विषय से संबंधित विभागों को कार्रवाई का निदेश मुख्य मंत्री सचिवालय के स्तर से निर्गत किया जाता है।